



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062023-246456
CG-DL-E-12062023-246456

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2456]
No. 2456]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 12, 2023/ज्येष्ठ 22, 1945
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 12, 2023/JYAISHTHA 22, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2023

(आय-कर)

का.आ. 2569(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 45द द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ई-अग्रिम विनिर्णय स्कीम में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम ई- अग्रिम विनिर्णय (संशोधन) स्कीम 2003 है।
(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगी।
- ई- अग्रिम विनिर्णय स्कीम, 2022 के पैरा 6 के उपपैरा (ग) में, खंड (iv) के स्थान पर , निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"(iv) अग्रिम विनिर्णय बोर्ड, खंड (iii) में यथानिर्दिष्ट उत्तर पर विचार करने के पश्चात्, और आवेदक के निवेदन पर अधिनियम की धारा 245द की उपधारा(5) के अधीन (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो टेलिफोनी के माध्यम से) सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात्, खंड (v) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यदि लागू हों, आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रश्न पर अग्रिम विनिर्णय की घोषणा करेगा तथा उसकी एक प्रति आवेदक को और प्राधिकारी को देगा जिसे निर्देश किया गया है।

(v) यदि अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के सदस्य किसी बिन्दु या किन्हीं बिन्दुओं पर भिन्न राय रखते हैं, तो अग्रिम विनिर्णय बोर्ड प्रधान मुख्य आयुक्त आय-कर (अंतराष्ट्रीय कराधान) को निर्दिष्ट करेगा, जो किसी अन्य अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के एक सदस्य को नामित करेगा तथा ऐसा बिन्दु या ऐसे बिन्दु सदस्यों के बहुमत की राय के अनुसार विनिश्चित किए जाएंगे।"

[फा. सं. 38/2023 फा.सं.370142/62/2021-टीपीएल(पार्ट-III)]

प्रज्ञा पारमिता, निदेशक

टिप्पण:- मूल स्कीम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 248(अ) तारीख 18 जनवरी, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई।

**MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th June, 2023

(Income-Tax)

S.O. 2569(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (9) and (10) of section 245R of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following amendments in the e-advance rulings Scheme, 2022, namely:

1. Short title and commencement.—(1) This Scheme may be called the e-advance rulings (Amendment) Scheme, 2023.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the e-advance rulings Scheme, 2022, in paragraph 6, in sub-paragraph (C), for clause (iv), the following clauses shall be substituted, namely:—

“(iv) the Board for Advance Rulings shall, after considering the response as referred to in clause (iii), and after providing an opportunity of being heard (through video conferencing or video telephony) under sub-section (5) of section 245R of the Act on the request of the applicant, subject to the provisions of clause (v), if applicable, pronounce the advance ruling on the question specified in the application and send a copy thereof to the applicant and the authority to whom the reference has been made;

(v) if the Members of a Board for Advance Rulings differ in opinion on any point or points, the Board for Advance Rulings shall refer such point or points to the Principal Chief Commissioner of Income-tax (International Taxation), who shall nominate one Member from any other Board for Advance Rulings and such point or points shall be decided according to the opinion of the majority of the Members.”

[F. No. 38/2023 F.No. 370142/62/2021-TPL(Part-III)]

PRAJNA PARAMITA, Director

Note: The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 248(E), dated the 18th January, 2022.